फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती उषा भावनानी | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 12/20**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 22.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प रख्यावल में पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थीयां उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार तरमीम किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीयां अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1730/453 प्रार्थीयां के नाम दर्ज होकर मौके पर काबिज हैं परन्तु राजस्व नक्शें में गलत तरमीम की हुई है जिसे राजस्व नक्शें में सही तरमीम किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1730/453 खेमली से देलवाडा जाने वाली रोड के उत्तर दिशा में दर्शाया गया हैं किन्तु मौके अनुसार जांच करने पर आराजी नम्बर 1730/453 का खातेदार मूल आवंटी व्यक्ति 30–40 वर्षों से खेमली से देलवाडा जाने वाली रोड के पूर्व दिशा में जाने वाली कच्ची रोड के उत्तर दिशा में 5 फीट ऊंची पक्की दीवार बना कर कृषि कार्य करता है लम्बे समय से मौके पर काबिज होना बताया हैं। वर्तमान नक्शें में तरमीम से 100 मीटर की दूरी पर काबिज हैं। कब्जे अनुसार तरमीम किये जाने की अनुशंषा की गई हैं। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट के साथ तरमीम हेतु प्रस्तावित नक्शा भी पेश किया हैं। चूंकि राजस्व नक्शे में गलत तरमीम होने से प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित नक्शें अनुसार कब्जे के आधार पर नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायाहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:01:38 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं। मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 1730/453 रकबा 2 बीघा भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थीयां के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।